**परिपत्र सं. 04/2024**

**फा.सं. ए-275/01/2023-आईटी(बजट)**
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 07 मार्च, 2024

**विषय:- प्रपत्र संख्या 26थड. जिसे 01.07.2022 से 28.02.2023 (वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित) की समयावधि में दाखिल किया जाना अपेक्षित था, की नियत तारीख का कार्योत्तर विस्तार।**

आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 194ध के अनुसार, किसी भी निवासी व्यक्ति को वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के माध्यम से किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी राशि के 1% के बराबर राशि पर आयकर के रूप में कटौती करना आवश्यक है। इसके अलावा, नियम 31क के उप-नियम (4घ) के अनुसार, एक 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' को उस महीने के अंत से तीस दिनों के भीतर जिसमें यह कटौती की गई है, प्रपत्र संख्या 26थड. में इलेक्ट्रॉनिक रूप से चालान-सह-विवरण में ऐसी कटौतियों की रिपोर्ट करना अपेक्षित है।

2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') के संज्ञान में यह आया है कि 01.07.2022 से 31.01.2023 की समयावधि के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्तियों जिन्होंने अधिनियम की धारा 194ध के अंतर्गत कर कटौती की है, प्रपत्र संख्या 26थड. की अनुपलब्धता के कारण प्रपत्र संख्या 26थड. तथा संबंधित टीडीएस भुगतान नियत तारीख को अथवा उससे पहले दाखिल नहीं कर पाए। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ड. के अंतर्गत शुल्क तथा अधिनियम की धारा 201 की उप-धारा(1क) के खंड (ii) के अंतर्गत ब्याज की परिणामी उगाही हुई। इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों जिन्होंने धारा 194ध के अंतर्गत 01.02.2023 से 28.02.2023 की समयावधि के दौरान कर कटौती की थी, के पास प्रपत्र संख्या 26थड. को दाखिल करने तथा उस पर संबंधित टीडीएस का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त समय था।

3. ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने तथा अधिनियम की धारा 119(2)(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अधिनियम की धारा 194ध के अंतर्गत कर कटौती की है लेकिन प्रपत्र संख्या 26थड. दाखिल करने में असफल रहे हैं, के लिए प्रपत्र संख्या 26थड. को फाइल करने की नियत तारीख को बढ़ाने के लिए कार्योत्तर विस्तार देने का निर्णय लिया है। उन मामलों में जहां 01.07.2022 से 28.02.2023 की समयावधि के दौरान अधिनियम की धारा 194ध के अंतर्गत विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के द्वारा कर कटौती की गई थी, नियत तारीख को 30.05.2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार के मामलों में 30.05.2023 की समयावधि तक के लिए अधिनियम की धारा 234ड. के अंतर्गत लगाया गया शुल्क तथा धारा 201 (1क) (ii) के अंतर्गत लगाया गया ब्याज, माफ किया जाएगा।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विस्तार ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों को देखते हुए एक बार का अपवाद है।

(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

निम्न को प्रति:

1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी
2. सचिव का पीपीएस (राजस्व)
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व समस्त सदस्य, सीबीडीटी
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य आयकर आयुक्त/ प्रधान आयकर महानिदेशक/ आयकर महानिदेशक
5. सभी संयुक्त सचिव/ आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. प्रधान आयकर आयुक्त (मीडिया व टीपी) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली
7. अपर महानिदेशक (पीआर,पीएंडपी) को आवश्यक कार्रवाई हेतु
8. जेसीआईटी, डेटाबेस प्रकोष्ठ, आदेश को वेबसाइट www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
9. विभागीय वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ डीजीआईटी (पद्धति) कार्यालय
10. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
11. सभी वाणिज्य मंडल
12. गार्ड फाइल

07/03/2024
(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार